संख्या-558/2025/आई/1139330/23-1-25/001-23-1002(002)/295/2025

प्रेषक,

राजेश प्रताप सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक 11 नवम्बर, 2025**

विषय- वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान सं0-58 लेखाशीर्षक-3054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से कानपुर मण्डल के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों के कुल 73 विशेष मरम्मत के कार्यों हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के अधोलिखित तालिका के स्तम्भ-2 में अंकित पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न विवरणानुसार **कानपुर मण्डल के विभिन्न जनपदों के कुल 73 विशेष मरम्मत के कार्यों हेतु कुल लागत रू0 56,19,32,000/- (रूपये छप्पन करोड़ उन्नीस लाख बत्तीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ** चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान सं0-58 के **लेखाशीर्षक-3054** के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से कुल **रू0 19,66,76,000/- (रूपये उन्नीस करोड़ छियासठ लाख छिहत्तर हजार मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लो0नि0वि0 का पत्र संख्या व दि0	खण्ड/ जनपद का नाम	यूनिक कोड	कार्य का नाम	क्षतिग्रस्त लम्बाई (कि0 मी0 में)	कुल लागत	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आई/303141/2025, दिनांक 08.10.2025	नि.ख.-1 कानपुरदेहात	330637	कालपी मार्ग से उमरन मार्ग के किमी0 1 में विशेष मरम्मत का कार्य।	1.000	63.64	22.27
2	आई/322504/2025, दिनांक 29.10.2025	नि.ख.-1 कानपुरदेहात	330035	एन0एच0-2 से लहरापुर मार्ग (ग्रा0मा0) के किमी0 1 से 3(700) में विशेष मरम्मत का कार्य।	2.700	56.25	19.69

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र0 सं0	मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लो0नि0वि0 का पत्र संख्या व दि0	खण्ड/ जनपद का नाम	यूनिक कोड	कार्य का नाम	क्षतिग्रस्त लम्बाई (कि0 मी0 में)	कुल लागत	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
3	I/327666/2025, Dt. 01-11-2025	नि.ख.-1 कानपुरदेहात	330801	रूरा डेरापुर से सराय गढ़ेवा मार्ग (ग्रा0मा0) के किमी0 1 से 4(150) में विशेष मरम्मत का कार्य।	3.150	72.52	25.38
4	I/327666/2025, Dt. 01-11-2025	नि.ख.-1 कानपुरदेहात	330603	मैथा हथिका कुढवा मार्ग (ग्रा0मा0) के किमी0 1 से 3 में विशेष मरम्मत का कार्य।	3.000	97.04	33.96
5	आई/303141/2025, दिनांक 08.10.2025	नि.ख. फर्रूखाबाद	290798	राजपुर से अमैयापुर चपरा गुडेरा सम्पर्क मार्ग की मरम्मत/सुधार का कार्य।	2.000	44.59	15.61
6	आई/303141/2025, दिनांक 08.10.2025	नि.ख. फर्रूखाबाद	290912	राजपुर गुडेरा मार्ग से कोलासोता वाया हरपालपुर सम्पर्क मार्ग की मरम्मत/सुधार का कार्य	4.600	69.94	24.48
7	आई/303141/2025, दिनांक 08.10.2025	प्रा.ख. फतेहगढ़	290224	नदौरा सम्पर्क मार्ग पर विशेष मरम्मत का कार्य।	2.000	50.10	17.54
8	आई/322504/2025, दिनांक 29.10.2025	नि.ख. फर्रूखाबाद	290797	वित्तीय वर्ष 2025-26 में विशेष मरम्मत योजनान्तर्गत दैवीय आपदा/भीषण बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त डबरी राजेपुर कड़क्का कुतलूपुर गोटिया मार्ग (अन्य जिला मार्ग) की मरम्मत/सुधार का कार्य।	0.870	193.31	67.66
9	आई/322504/2025, दिनांक 29.10.2025	नि.ख. फर्रूखाबाद	290671	वित्तीय वर्ष 2025-26 में फर्रूखाबाद चिलसरा मार्ग से दुबरी सम्पर्क मार्ग की मरम्मत एवं सुधार का कार्य।	1.700	66.36	23.23
10	I/327664/2025, Dt. 01-11-2025	प्रा.ख. कानपुरनगर	340045	सी0एच0एस0 से रैपुरा सम्पर्क मार्ग पर विशेष मरम्मत का कार्य	2.500	45.16	15.81
11	I/327664/2025, Dt. 01-11-2025	प्रा.ख. कानपुरनगर	340352	गुजेला से कुरसेड़ा मार्ग पर विशेष मरम्मत का कार्य	2.040	45.60	15.96
12	आई/303141/2025, दिनांक 08.10.2025	नि.ख. इटावा	316148	बरेली इटावा मार्ग से नगला चकवा बुजुर्ग मार्ग।	2.830	45.73	16.01
13	आई/303141/2025, दिनांक 08.10.2025	नि.ख.-1 इटावा	311827	इटावा फर्रूखाबाद मार्ग से जुगरामठ मार्ग पर विशेष मरम्मत का कार्य।	1.000	51.18	17.91
14	आई/303141/2025, दिनांक 08.10.2025	नि.ख.-1 इटावा	310563	बल्देव प्रसाद चैराहे से जैन मन्दिर होते हुये नीलकण्ठ मन्दिर चैराहे तक मार्ग पर विशेष मरम्मत का कार्य।	0.520	45.38	15.88
15	आई/303141/2025, दिनांक 08.10.2025	नि.ख.-1 इटावा	311847	इटावा ददोरा मार्ग के किमी 3 से नगला बर सम्पर्क मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य।	0.850	41.35	14.47

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र0 सं0	मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लो0नि0वि0 का पत्र संख्या व दि0	खण्ड/ जनपद का नाम	यूनिक कोड	कार्य का नाम	क्षतिग्रस्त लम्बाई (कि0 मी0 में)	कुल लागत	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
16	आई/322504/2025, दिनांक 29.10.2025	नि.ख.-1 इटावा	310204	जनपद इटावा के सोनवारा बाईपास मार्ग के क्षतिग्रस्त किलोमीटर संख्या 1, 2, 3, 5 एवं 6 की विशेष मरम्मत का कार्य।	5.000	199.86	69.95
17	आई/303141/2025, दिनांक 08.10.2025	प्रा.ख. औरैया	320336	भाउपुर क्योंटरा मार्ग से भदौरा मार्ग पर विशेष मरम्मत का कार्य।	2.800	58.19	20.37
18	I/327666/2025, Dt. 01-11-2025	प्रा.ख. औरैया	320371	आई0आर0क्यू0पी0 योजनान्तर्गत मुरादगंज अयाना मार्ग से रोशंगपुर चैकी मार्ग पर मरम्मत का कार्य।	1.850	42.65	14.93
19	I/327666/2025, Dt. 01-11-2025	प्रा.ख. औरैया	320300	आई0आर0क्यू0पी0 योजनान्तर्गत कयोंटरा से पुरूषोत्तमपुर जरहौलिया नाले तक मार्ग पर मरम्मत का कार्य।	2.000	45.18	15.81
20	आई/303141/2025, दिनांक 08.10.2025	प्रा.ख. कन्नौज	300337	जेंवा सम्पर्क मार्ग के आबादी भाग में 650 मी0 सी0सी0 एवं शेष लम्बाई में पी0सी0 का कार्य	1.000	51.58	18.05
21	आई/303141/2025, दिनांक 08.10.2025	प्रा.ख. कन्नौज	300320	नसरापुर से अहमदपुर रौनी सम्पर्क मार्ग पर 300मी0 लम्बाई में सी0सी0 एवं यून ड्रेन 2500 मी0 लम्बाई में पी0सी0 का कार्य।	2.800	56.42	19.75
22	आई/303141/2025, दिनांक 08.10.2025	प्रा.ख. कन्नौज	300323	फगुहाभट्टा मार्ग से रजईमऊ राजा तक मार्ग पर सी0सी0 एवं के0सी0 ड्रेन का कार्य।	0.600	55.02	19.26
23	आई/303141/2025, दिनांक 08.10.2025	प्रा.ख. कन्नौज	306000	शेरपुर सराय (फर्रूखाबाद) से उधरनपुर, गोसाईदासपुर खिदरिया होते हुये जी0टी0 मार्ग किमी0 341 तक में किमी0 49(750) में विशेष मरम्मत का कार्य।	0.750	89.75	31.41
24	आई/303141/2025, दिनांक 08.10.2025	प्रा.ख. कन्नौज	300601	बाबा भैरो मन्दिर चैधरियापुर से चैराचॉदपुर गुमटिया होते हुये मेंहदीघाट सम्पर्क मार्ग पर आबादी भाग में सी0सी0 एवं के0सी0 ड्रेन का कार्य।	1.300	121.87	42.65
25	आई/303141/2025, दिनांक 08.10.2025	प्रा.ख. कन्नौज	300261	जी0टी0 मार्ग किमी0 330 सियरमऊ अनौगी नदसिया मार्ग से अटारा निस्फ पट्टी तिर्वा सम्पर्क भवानीपुर आबादी भाग में सी0सी0 का कार्य।	0.630	46.91	16.42
26	आई/322504/2025, दिनांक 29.10.2025	नि.ख. फर्रूखाबाद	275748	अटैना कम्पिल कायमगंज संकिसा मोहम्मदाबाद मार्ग (प्र0जि0मा0) के किमी0 2 से 10(500) में क्षतिग्रस्त भाग पर मरम्मत/सुधार एवं काजवे के मरम्मत का कार्य।	0.630	353.28	123.65
27	आई/322504/2025, दिनांक 29.10.2025	नि.ख. फर्रूखाबाद	290799	वित्तीय वर्ष 2025-26 में विशेष मरम्मत योजनान्तर्गत दैवीय आपदा भीषण बाढ़ एवं अत्यधिक वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त	0.400	83.33	29.17

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र0 सं0	मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लो0नि0वि0 का पत्र संख्या व दि0	खण्ड/ जनपद का नाम	यूनिक कोड	कार्य का नाम	क्षतिग्रस्त लम्बाई (कि0 मी0 में)	कुल लागत	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
				मार्ग नसरूल्लापुर सम्पर्क मार्ग पर काजवे निर्माण एवं मरम्मत/सुधार का कार्य।			
28	आई/303141/2025, दिनांक 08.10.2025	नि.ख.-1 कन्नौज	300422	जी0एस0एस0टी0 मार्ग कि0मी0-5 से ज्ञानपुर सम्पर्क मार्ग पर विशेष मरम्मत का कार्य।	0.390	42.78	14.97
29	आई/303141/2025, दिनांक 08.10.2025	नि.ख.-1 कन्नौज	301240	कसावा भीखमपुर सम्पर्क मार्ग के कि0मी0-5 से प्रान नगला सम्पर्क मार्ग पर विशेष मरम्मत का कार्य।	0.400	48.54	16.99
30	आई/303141/2025, दिनांक 08.10.2025	नि.ख.-1 कन्नौज	300166	छिबरामऊ सौरिख बिधूना मार्ग से कसावा सम्पर्क मार्ग पर विशेष मरम्मत का कार्य।	0.400	42.91	15.02
31	आई/303141/2025, दिनांक 08.10.2025	नि.ख.-1 कन्नौज	301202	छिबरामऊ विशुनगढ़ मार्ग से विशुनगढ़ किशनी मार्ग के मध्य का भाग (छूटी कड़ी) सम्पर्क मार्ग।	0.350	62.13	21.75
32	आई/303141/2025, दिनांक 08.10.2025	नि.ख.-1 कन्नौज	301459	छिबरामऊ विशुनगढ़ मार्ग (अन्य जिला मार्ग) पर आर0सी0सी0 डेन का कार्य।	9.590	52.09	18.23
33	आई/303141/2025, दिनांक 08.10.2025	नि.ख.-1 कन्नौज	306027	सिकन्दरपुर बाईपास मार्ग (पुराना जी0टी0 रोड)	1.700	120.44	42.15
34	I/327666/2025, Dt. 01-11-2025	नि.ख.-1 कन्नौज	301495	विशुनगढ़ से जोत सम्पर्क मार्ग।	1.500	71.83	25.14
35	आई/303141/2025, दिनांक 08.10.2025	नि.ख. इटावा	310718	भूटा सरसई हेलू मार्ग से लालमन बलपुरा होते हुए नगला रूर मार्ग।	2.800	61.99	21.70
36	आई/322504/2025, दिनांक 29.10.2025	नि.ख. कन्नौज	300640	एस0एन0टी0टी0एम0 मार्ग से भटपुरी मार्ग	0.600	45.39	15.89
37	आई/322504/2025, दिनांक 29.10.2025	नि.ख. कन्नौज	300750	वी0पी0 मार्ग से तारापुर मिरूअन मढ़हा ज्योतिपुर्वा खैरनगर रहीमपुर बम्बा की पटरी मार्ग	1.330	116.99	40.95
38	आई/322504/2025, दिनांक 29.10.2025	नि.ख. कन्नौज	300152	महतेपुर्वा अल्लाहगंज गुरौली मार्ग से मलगई मार्ग	0.400	45.83	16.04
39	आई/322504/2025, दिनांक 29.10.2025	नि.ख. कन्नौज	300243	नगला भारा से नगला तेज सम्पर्क मार्ग	1.600	75.91	26.57
40	I/327666/2025, Dt. 01-11-2025	नि.ख. कन्नौज	300877	एस.एन.टी.टी.एम. मार्ग से नगला भारा सम्पर्क मार्ग	1.21	42.35	14.82
41	I/327664/2025, Dt. 01-11-2025	प्रा.ख. औरैया	320321	आई0आर0क्यू0पी0 योजनान्तर्गत जौरा से अमृतपुर तक मार्ग पर मरम्मत का कार्य।	3.000	68.42	23.95

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र0 सं0	मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लो0नि0वि0 का पत्र संख्या व दि0	खण्ड/ जनपद का नाम	यूनिक कोड	कार्य का नाम	क्षतिग्रस्त लम्बाई (कि0 मी0 में)	कुल लागत	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
42	आई/303141/2025, दिनांक 08.10.2025	प्रा.ख. फतेहगढ़	290523	वित्तीय वर्ष 2025-26 में चिलसरा मार्ग किमी0-3 से गुचलियाई सम्पर्क मार्ग पर बाढ़/अतिवृष्टि के कारण क्षतिग्रस्त मार्ग पर विशेष मरम्मत का कार्य।	1.450	96.97	33.94
43	आई/303141/2025, दिनांक 08.10.2025	प्रा.ख. फतेहगढ़	290962	वित्तीय वर्ष 2025-26 में विलावलपुर के पास से नगला पंखियन की मड़ैया तक मार्ग पर बाढ़/अतिवृष्टि के कारण क्षतिग्रस्त मार्ग पर विशेष मरम्मत का कार्य।	1.020	54.57	19.10
44	आई/322504/2025, दिनांक 29.10.2025	नि.ख.-2 कानपुरनगर	341055	सुरार बछऊ मार्ग से हाता गम्भीरपुर मार्ग के कि0मी0-1(900) की आई0आर0क्यू0पी0 योजनान्तर्गत मरम्मत का कार्य।	0.900	50.82	17.79
45	आई/322504/2025, दिनांक 29.10.2025	नि.ख.-2 कानपुरनगर	341026	सचेण्डी दशहरा मेला होते हुए हीरामन का पुरवा सम्पर्क मार्ग आई0आर0क्यू0पी0 योजनान्तर्गत मरम्मत का कार्य।	3.000	118.91	41.62
46	आई/322504/2025, दिनांक 29.10.2025	नि.ख.-2 कानपुरनगर	340931	सिंहपुर से लुधौरी मार्ग के कि0मी0-1(575) की आई0आर0क्यू0पी0 योजनान्तर्गत मरम्मत का कार्य।	0.580	57.49	20.12
47	I/327666/2025, Dt. 01-11-2025	नि.ख.-2 कानपुरनगर	340197	मण्डी समिति से खड़गपुर परसौली घुरूवाखेड़ा सनिगवॉ मार्ग से नगवॉ विश्रामपुर होते हुए बम्बा पुल तक मार्ग का कार्य।	1.500	67.47	23.61
48	I/327666/2025, Dt. 01-11-2025	नि.ख.-2 कानपुरनगर	341009	बगदौधी बांगर से बंधा तक मार्ग से रैकेपुर मार्ग का कार्य।	1.500	44.03	15.41
49	I/327666/2025, Dt. 01-11-2025	नि.ख.-2 कानपुरनगर	340928	लोधर से चकरतनपुर मार्ग के कि0मी0-1 एवं 2(850) का कार्य।	1.800	40.37	14.13
50	I/327664/2025, Dt. 01-11-2025	प्रा.ख. कानपुरनगर	340714	शहीद नरेन्द्र सिंह द्वार से बेहटा गम्भीरपुर मार्ग पर विशेष मरम्मत का कार्य।	2.030	70.45	24.66
51	I/327666/2025, Dt. 01-11-2025	नि.ख.-2 कानपुरनगर	340970	जगदीशपुर से भैंसऊ सम्पर्क मार्ग की आई0आर0क्यू0पी0 द्वारा मरम्मत का कार्य।	1.250	50.10	17.54
52	I/327664/2025, Dt. 01-11-2025	नि.ख.-1 इटावा	310202	फूप से मधुपुरा वाया चैरेला मार्ग (अ.जि.मा.) के किमी संख्या 1,2,3,4,26,27,28 एवं 29 के क्षतिग्रस्त तटबन्ध की मरम्मत एवं सुरक्षात्मक कार्य।	8.000	199.01	69.65

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र0 सं0	मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लो0नि0वि0 का पत्र संख्या व दि0	खण्ड/ जनपद का नाम	यूनिक कोड	कार्य का नाम	क्षतिग्रस्त लम्बाई (कि0 मी0 में)	कुल लागत	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
53	आई/303141/2025, दिनांक 08.10.2025	नि.ख.-1 कानपुरदेहात	331027	रुरगांव शेखपुर मार्ग से मुजम्मनपुर मार्ग (ग्रा0मा0) के किमी0 1 से 2(700) में विशेष मरम्मत का कार्य।	1.700	84.23	29.48
54	आई/322504/2025, दिनांक 29.10.2025	नि.ख.-1 कानपुरदेहात	330908	सटटी से कमलपुर मार्ग (ग्रा0मा0) के कि0मी0 1(700), 2, 3, 4(200) में विशेष मरम्मत का कार्य।	2.900	46.55	16.29
55	आई/322504/2025, दिनांक 29.10.2025	नि.ख.-1 कानपुरदेहात	330657	मुगल मार्ग से चपरेहटा मार्ग के किमी0 1 से 4(500) में विशेष मरम्मत का कार्य।	3.500	75.97	26.59
56	I/327666/2025, Dt. 01-11-2025	नि.ख.-1 कानपुरदेहात	330033	शाहजहांपुर सट्टी कथरी मार्ग किमी0 6 से दरी (राजस्व ग्राम कथरी) मार्ग (ग्रा0मा0) के किमी0 1 से 2(300) में विशेष मरम्मत का कार्य।	1.300	77.83	27.24
57	आई/303141/2025, दिनांक 08.10.2025	प्रा.ख. फतेहगढ़	290387	फर्रुखाबाद छिबरामऊ मार्ग के किमी0 12 से छिछौनापुर सम्पर्क मार्ग पर विशेष मरम्मत का कार्य।	1.500	49.78	17.42
58	आई/303141/2025, दिनांक 08.10.2025	प्रा.ख. फतेहगढ़	290569	कमालगंज दरियागंज मार्ग के नसरतपुर ग्राम के ईदगाह से उदीनगला सम्पर्क मार्ग पर विशेष मरम्मत का कार्य।	1.250	46.40	16.24
59	आई/303141/2025, दिनांक 08.10.2025	प्रा.ख. फतेहगढ़	290608	वित्तीय वर्ष 2025-26 में सुल्तानपुर से दरौरा सम्पर्क मार्ग पर आबादी भाग में सी0सी0 द्वारा विशेष मरम्मत का कार्य।	0.510	51.83	18.14
60	आई/303141/2025, दिनांक 08.10.2025	प्रा.ख. फतेहगढ़	290475	वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य मार्ग सं 163 के किमी0 67 से बहोरिकपुर बाजार से जिन्दापुर मार्ग पर विशेष मरम्मत का कार्य।	1.170	55.44	19.40
61	आई/303141/2025, दिनांक 08.10.2025	प्रा.ख. फतेहगढ़	290335	वित्तीय वर्ष 2025-26 में ईसापुर पॉवर हाउस से मधवापुर होते हुये कमालगंज जहानगंज मार्ग पर विशेष मरम्मत का कार्य।	3.500	57.27	20.04
62	आई/322504/2025, दिनांक 29.10.2025	प्रा.ख. फतेहगढ़	290235	फर्रुखाबाद छिबरामऊ मार्ग से कमालपुर मार्ग पर विशेष मरम्मत का कार्य।	1.040	83.96	29.39
63	आई/322504/2025, दिनांक 29.10.2025	प्रा.ख. फतेहगढ़	290177	मोहम्मदाबाद से जहानगंज कमालगंज मार्ग के किमी0 1(820) व किमी0 7(150) के आबादी भाग में सी0सी0 द्वारा विशेष मरम्मत का कार्य।	0.970	71.75	25.11
64	आई/322504/2025, दिनांक 29.10.2025	नि.ख.-2 कानपुरनगर	346681	आई0आर0क्यू0पी0 योजनान्तर्गत जनपद कानपुर नगर में रामगोपाल चैराहे से आनन्द साउथ सिटी मार्ग (शहरी मार्ग) के सुधार का कार्य।	1.860	158.66	55.53

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र0 सं0	मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लो0नि0वि0 का पत्र संख्या व दि0	खण्ड/ जनपद का नाम	यूनिक कोड	कार्य का नाम	क्षतिग्रस्त लम्बाई (कि0 मी0 में)	कुल लागत	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
65	आई/322504/2025, दिनांक 29.10.2025	प्रा.ख. कानपुरदेहात	330164	लखनऊ इटावा मार्ग से बिल्हौर मकनपुर बिसधन रसूलाबाद मार्ग वाया बरिगौं नौहा नौंगाव (अन्य जिला मार्ग) के किमी-7, 8, 9, 10 एवं 11 में विशेष मरम्मत का कार्य।	5.000	167.43	58.60
66	आई/322504/2025, दिनांक 29.10.2025	प्रा.ख. कानपुरदेहात	335950	विजईपुरवा से गुलाबपुरवा होते हुए भौंरा सम्पर्क मार्ग (ग्रामीण मार्ग) की विशेष मरम्मत का कार्य।	3.270	116.64	40.82
67	आई/303141/2025, दिनांक 08.10.2025	नि.ख. औरैया	320808	बेला से पुर्वा लच्छी मार्ग	3.000	61.89	21.66
68	आई/303141/2025, दिनांक 08.10.2025	नि.ख. औरैया	320449	बरू फफूद से पुर्वा बले मार्ग	1.850	56.15	19.65
69	आई/303141/2025, दिनांक 08.10.2025	नि.ख. औरैया	320796	सहायक याकूबपुर मार्ग से माधवन होते हुए करियापुर मार्ग	3.000	79.49	27.82
70	आई/303141/2025, दिनांक 08.10.2025	प्रा.ख. कानपुरदेहात	330555	सिहुरा से गोहानी सम्पर्क मार्ग (ग्रामीण मार्ग) के चैनेज 0 से 500 तक सी.सी. मार्ग एवं नाली निर्माण का कार्य।	0.500	50.42	17.65
71	आई/322504/2025, दिनांक 29.10.2025	प्रा.ख. कानपुरदेहात	330191	संदलपुर-कुढ़ावल मार्ग (अ.जि.मा.) के किमी-5 से 8 तक विशेष मरम्मत का कार्य।	4.000	135.07	47.27
72	आई/322504/2025, दिनांक 29.10.2025	प्रा.ख. कानपुरदेहात	330281	लखनऊ इटावा मार्ग (बिलहा) से चन्दनपुरवा सम्पर्क मार्ग (ग्रामीण मार्ग) में चै.00-1650 में पी.सी. से विशेष मरम्मत तथा चै.2100-2300 में सी.सी. एवं नाली का निर्माण का कार्य।	1.950	65.60	22.96
73	I/327666/2025, Dt. 01-11-2025	प्रा.ख. कानपुरदेहात	335407	जिगना से जस्सापुर सम्पर्क मार्ग (ग्रामीण मार्ग) के किमी-1, 2(0-200) तथा 2(750-1000) में पी.सी. से विशेष मरम्मत एवं किमी-2(200-750) में सी.सी. व नाली निर्माण का कार्य।	2.000	86.98	30.44
					कुल योग-	**5619.32**	**1966.76**

(1) प्रश्नगत कार्य की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है। यदि द्विरावृत्ति पायी जाय तो

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

उस स्वीकृति को निरस्त करते हुए संबंधित कार्य पर आवंटित धनराशि शासन को तत्काल समर्पित की जाय।

(2) प्रश्नगत कार्य को उस समय तक प्रारम्भ न किया जाय और न ही उन पर कोई व्यय भार लिया जाय जब तक कि स्वीकृत लागत के अन्तर्गत विस्तृत आगणन गठित कर उस पर सक्षम अधिकारी द्वारा प्राविधिक स्वीकृति प्रदान न कर दी जाय। यदि यह कार्यवाही सुनिश्चित नहीं की जाती है तो समस्त उत्तरदायित्व संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/अधिशासी अभियंता का होगा।

(3) लेबर सेस की एक प्रतिशत धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(4) प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत की दर से जी0एस0टी0 की धनराशि सम्मिलित की गयी है। विभाग का दायित्व होगा कि भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जी0एस0टी0 का भुगतान सुनिश्चित किया जाये। साथ ही विभाग का यह भी दायित्व होगा कि प्रायोजना के निर्माण कार्यो में वास्तविक खपत (CONSUMED) हुई मुख्य सामग्री (सीमेन्ट व स्टील, ग्रिट, बिटुमिन इत्यादि) की मात्राओं का अनुपातिक/मानक मिलान करते हुए जी0एस0टी0 भुगतान किया जाये।

(5) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जाय। यदि यह कार्यवाही सुनिश्चित नहीं की जाती है तो समस्त उत्तरदायित्व संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/अधिशासी अभियंता का होगा।

(6) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2026 तक कर लिया जाय। कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक 30 अप्रैल 2026 तक शासन को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दिया जाय।

(7) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय, वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि तथा राज्य सड़क निधि नियमावली में किये गये प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाय तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में न किया जाय।

(8) राज्य सड़क निधि हेतु गठित उ0प्र0 राज्य सड़क निधि प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं/प्रयोजनों के लिये ही स्वीकृत/आवंटित धनराशि का उपयोग किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

यह सुनिश्चित किया जाय कि जिन प्रयोजनों हेतु राज्य सड़क निधि से धनराशि स्वीकृत हुई है वह उसी प्रायोजन हेतु व्यय की गयी है। विभाग द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाय कि कार्य की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद कार्य की अव्यवहारिकता दर्शाते हुए स्वीकृति निरस्त न हो।

(9) प्रश्नगत कार्य निर्धारित व अनुमोदित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप सम्पादित कराये जाय ताकि उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश निर्धारित मानकों/विशिष्टियों में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित हो तो, उक्त परिवर्तन/विचलन शासन की पूर्वानुमति से ही किया जाय। प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि आगणन में किसी भी प्रकार की त्रुटि न होने पाये।

(10) विभाग द्वारा यथावश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स नियमानुसार सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(11) परियोजना की लागत व समय सीमा में बढोत्तरी न हो, इस हेतु परियोजना के निर्माण कार्य की साप्ताहिक समीक्षा सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता द्वारा एवं माह में कम से कम एक बार समीक्षा विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग के स्तर पर सुनिश्चित की जायेगी।

(12) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा प्रश्नगत कार्य से सम्बन्धित बचत (यदि हो तो) व कार्य पूर्णता इत्यादि की सूचना यथासमय शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

(13) परियोजना को निर्धारित समयसीमा के अन्दर अवश्य पूर्ण कर लिया जाये तथा टाइम ओवर रन एवं क्रास्ट ओवर रन इत्यादि के कारण प्रायोजना का पुनरीक्षण भविष्य में नहीं किया जायेगा।

(14) वित्त विभाग के शासनादेश सं0-10/2021/बी-2-96/दस-2021-10/99, दिनांक 22 मार्च, 2021 के अनुसार अनुमोदित प्रायोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त इसकी डी0पी0आर0 गठित करने के उपरान्त ही तकनीकी स्वीकृति निर्गत की जाय। यदि इस प्रक्रिया में यह परिलक्षित होता है कि प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष तकनीकी स्वीकृति की लागत 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हो रही है, तो प्रायोजना का पुनरीक्षित आगणन गठन करते हुए 03 माह के भीतर पुनरीक्षित आगणन पर व्यय-वित्त समिति का अनुमोदन प्राप्त किया जाय, अन्यथा की स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना पर व्यय-वित्त समिति द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(15) वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 के अनुसार परियोजना की वित्तीय स्वीकृति व प्रथम किश्त मूल्यांकित लागत पर जारी की जाये, किन्तु द्वितीय किश्त जारी करने से पूर्व परियोजना की लागत को निविदा में प्राप्त मूल्य (टेण्डर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए पुनरीक्षित करा लिया जाये। परियोजना की अनुवर्ती किश्तें पुनरीक्षित लागत के आधार पर ही जारी की जायें ताकि कार्यदायी संस्था को कार्य की वास्तविक लागत से अधिक धनराशि अवमुक्त न हो सके। यदि निविदा के बाद कार्यों की लागत में कमी आती है, तो बचत की धनराशि को सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत राजकोष में जमा किया जाये।

(16) प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों को यथावत मानते हुए किया गया है। मार्ग निर्माण की लम्बाई/चौड़ाई में परिवर्तन, संशोधन, स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि शासन स्तर से अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(17) परियोजना पूर्ण होने में विलम्ब की स्थिति उत्पन्न होने अथवा परियोजना की लागत में वृद्धि की दशा में इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग एवं मुख्य अभियन्ता (मु0-1) एवं सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता का होगा तथा भविष्य में यदि परियोजना की लागत में वृद्धि होती है तो ऐसी दशा में लागत में बढोत्तरी की कुल धनराशि की वसूली सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता आदि के वेतन से की जायेगी।

(18) परियोजना से सम्बन्धित समस्त तकनीकी पक्षों/तथ्यों व उनके परीक्षण/सत्यापन तथा इस परियोजना के निर्धारित मानकों के अनुरूप होने का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग का होगा।

(19) जिन मार्गों के सृष्टि कोड अंकित नहीं है, उनके संबंध में प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि मार्ग लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व के हैं अथवा उनके लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व में न होने की दशा में संबंधित विभाग से अनापत्ति प्राप्त किये जाने के उपरान्त कार्यवाही की जाय।

(20) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-06/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(21) उपरिलिखित सभी शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित करने का दायित्व प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, मुख्य अभियन्ता (मु0-1) एवं सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता का होगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय **रू0 19,66,76,000/- (रूपये उन्नीस करोड़ छियासठ लाख छिहत्तर हजार मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-58 **लेखाशीर्षक "3054**043370500 राज्य सड़क निधि से सड़कों का अनुरक्षण मानक मद 29 अनुरक्षण" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

राजेश प्रताप सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-558/2025/आई/1139330(1)/23-1-25/001-23-1002(002)/295/2025, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश शासन।
2- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
5- मुख्य अभियंता(मुख्यालय-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
6- मुख्य अभियंता, संबंधित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।
7- संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
8- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
9- वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
10- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
11- लोक निर्माण अनुभाग-10/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0 शासन।
12- नोडल अधिकारी (आनलाइन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अभिषेक गंगवार
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in